

सैकड़ों लोगों ने मिलकर अनुरोध किया है कि इस गाड़ी को चलाया जाए। निश्चित रूप से हम पुनः नागपुर से इस गाड़ी को चलवाएंगे।

उपसभापति जी, मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि वह रेलवे की आगामी वर्ष 2006-07 के लिए लेखानुदान, चालू वर्ष 2005-06 की पूरक मांगों और 2003-04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को लौटाने के लिए अपनी स्वीकृति दे ... (व्यवधान)...

STATEMENT BY MINISTERS

Final report of Justice U.C. Banerjee Committee on incident of Fire in Sabarmati Express at Godhra Railway Station on 27th February, 2002.

श्री उपसभापति : सुरेन्द्र लाठ जी, आप बैठिए... (व्यवधान)...

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : इसके साथ ही गोधरा के संबंध में ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिए... (व्यवधान)... आप बैठिए ... (व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद : उपसभापति जी, मुझे बयान भी देना है, इसके बाद आपका बजट होगा, एक साथ कर देने से समय बच जाएगा। बयान देने के लिए हमने अनुमति ली है। हमने हाऊस में बयान देने के लिए कहा था। इसलिए इसकी अनुमति ली जा चुकी है।

उपसभापति महोदय, पश्चिम रेलवे के गोधरा स्टेशन के निकट ट्रेन नंबर 9166 अप साबरमती एक्सप्रेस में दिनांक 27.2.2002 को आग लगने की घटना के कारण 59 जानें गईं और 24 घायल हुए एवं रेलवे परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचा। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त के द्वारा वैधानिक जांच नहीं की गई। सच्चाई की तह में जाने, आग लगने की घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने और उससे जुड़े तत्संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए UPA सरकार ने रेल मंत्रालय की दिनांक 4.9.2004 की अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति को अपना कार्य सुचारु रूप से निष्पादित करने में सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से दिनांक 2.12.2005 की अधिसूचना के तहत समिति को जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गईं।

उपसभापति महोदय, उच्च-स्तरीय समिति ने 17.1.2005 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसे मैं संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर चुका हूँ। महोदय, उपरोक्त उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 3-3-2006 को ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) : वे रिपोर्ट नहीं रख सकते ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वे रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं ... (व्यवधान)... नहीं रख रहे हैं ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो उन्होंने स्टेटमेंट वहाँ बोली है, उसमें यह सब नहीं था ...**(व्यवधान)**... दो लाइन का स्टेटमेंट था...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : चेयरमैन ने क्लियर किया है...**(व्यवधान)**... वे रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं ...**(व्यवधान)**... वे रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : आप पहले सुन तो लीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप सुन लीजिए ...**(व्यवधान)**... अगर आपति है, तो बोलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, उपरोक्त उच्च-स्तरीय समिति ने ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए।

महोदय, उपरोक्त उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 3-3-2006 को रेल मंत्रालय को सौंप दी है। श्री नीलकंठ तुलसीदास भाटिया द्वारा दायर विशेष सिविल याचिका सं. 16500/2005 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने 26-10-2005 को आदेश दिया था कि यदि उच्च-स्तरीय समिति कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना रेल मंत्रालय द्वारा उसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। माननीय सांसदों ने दिनांक 6-3-2006 को बैनर्जी समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने की जोरदार मांग की थी। इसी आलोक में दिनांक 7-3-2006 को माननीय गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ से अनुरोध किया गया था कि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने दिनांक 7-3-2006 को पुनः आदेश दिया, क्योंकि हम लोगों ने मेशन किया कि इसे वैकेट कीजिए, तो फिर 7-3-2006 को उनका आदेश आ गया कि 3-4-2006 से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाने वाली अन्तिम सुनवाई तक जस्टिस बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट का प्रचार नहीं किया जाएगा और रेल प्रशासन या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। एकल पीठ के दिनांक 7-3-2006 के इस आदेश के विरुद्ध माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में अपील दायर की गई है, जो विचाराधीन है। आज डबल बेंच पर हमने अपील की है। महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट को देने के बारे में जो मांग रखी थी, तो माननीय न्यायालय की इस पर रोक है, इसलिए हम असमर्थ हैं।...**(व्यवधान)**...

THE BUDGET (RAILWAYS), 2006-2007 - Contd.

श्री उपसभापति : मंत्री जी ने कहा है कि जो भी रेल रूट्स हैं, इंडिविडुअल मैम्बर से मिल कर व्यक्तिगत रूप से मालूम कराएंगे ...**(व्यवधान)**... आपका क्लैरिफिकेशन क्या है ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... मैं बुलाता हूँ, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... one by one ...**(व्यवधान)**... देखिए ...**(व्यवधान)**... हनुमंत राव जी, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बाद में बोलिएगा ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि लोगों ने जो डिमांड किया है, वे उनको इंडिविडुअल लेटर लिखेंगे, तो आप उसमें...**(व्यवधान)**...